

राजस्थान सरकार  
समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक एफ.11 (3) 10/मो./मबावि/99 39221 जयपुर, दिनांक  
28.5.10

आदेश

ऑगनबाड़ी केन्द्रों के कार्यसमय में परिवर्तन के क्रम में निदेशालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ.11 (3) 10/मो./मबावि/99/37796 दिनांक 27.05.2010 के अनुसरण में यह निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर बालकों का उपस्थिति समय प्रातः 7.00 से 9.00 बजे तक का ही रहेगा। किन्तु ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका प्रातः 9.00 बजे से 11.00 बजे तक गृह भ्रमण, परामर्श आदि कार्य सम्पादित करेगी।

ऑगनबाड़ी केन्द्र पर गरम पोषाहार प्रातः 9.00 बजे पूर्व तक खिलाया जावेगा तथा नाश्ते के रूप में दिया जाने वाला पोषाहार बच्चों को घर पर खाने हेतु वितरित किया जावेगा।

*(सूचना)*  
निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ.11 (3) 10/मो./मबावि/99

जयपुर, दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, म.बा.वि. जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सहायक, शासन सचिव, म.बा.वि. जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, जयपुर।
6. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
7. समस्त जिला कलेक्टर।
8. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं, जयपुर।
9. समस्त उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
10. समस्त, बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ।
11. कम्प्यूटर शाखा, मुख्यालय।

-sd-  
अति.निदेशक (शिशु)